



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18102022-239739
CG-DL-E-18102022-239739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4712]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 18, 2022/आश्विन 26, 1944

No. 4712]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 18, 2022/ASVINA 26, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 अक्तूबर, 2022

का.आ. 4924(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2200(अ) तारीख 11 मई, 2022, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 12 मई, 2022, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में झारखण्ड राज्य के बोकारो एवं रामगढ़ जिले में कोल बेड मिथेन गैस के परिवहन के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा पाईपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28 जुलाई 2022, तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा(1) के अधीन केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्र सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाईपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्र सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाईपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्र सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाईपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाईपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्र सरकार के विरुद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची					
थाना : गोमिया		अंचल : गोमिया	जिला : बोकारो	राज्य : झारखंड	
क्रम सं.	मौजा का नाम एवं थाना सं.	खेसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	खुदगड़ा - 111	1799	00	00	20
		1797	00	04	10
		1810	00	00	70
		1135	00	14	50
		1843	00	01	90
		1842	00	00	60
2	पलानी - 119	359	00	01	60
		362	00	02	30
3	बिरसा - 125	84	00	02	10
		83	00	02	50
		85	00	01	10
		90	00	04	20
		91	00	04	40
4	गोमिया - 110	937	00	01	90
		760	00	07	30
		779	00	01	70
		780	00	10	90
		782	00	03	30
		781	00	02	70
		787	00	00	80
		1167	00	01	60
		2998	00	12	60
		3088	00	01	40
		1966	00	00	80

		1722	00	02	10
		1829	00	00	60
	गोमिया - 110 (जारी...)	1830	00	09	90
		1831	00	08	60
		1832	00	00	90
		1833	00	02	40
5	हजारी - 112	2649	00	01	10
		2660	00	00	20

[फा. सं. इएक्सपीएल-11032(11)/ 19/2022-इएक्सपीएल-1-पीएनजी (इ-42521)]

आर. के. कुरील, निदेशक

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th October, 2022

S.O. 4924(E).—Whereas by the notification of the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2200(E) dated the 11th May, 2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India dated the 12th May, 2022, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transportation of Coal Bed Methane (CBM) Gas by Oil and Natural Gas Corporation Limited ;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 28.07.2022;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Limited, free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule					
Thana: Gomia		Anchal: Gomia	District: Bokaro		State: Jharkhand
Sl. No.	Name of the Mouza and Thana No.	Khasra No.	Area		
			Hectare	Are	Square meter
1	2	3	4	5	6
1	Khudgara – 111	1799	00	00	20
		1797	00	04	10
		1810	00	00	70
		1135	00	14	50
		1843	00	01	90
		1842	00	00	60
2	Palani- 119	359	00	01	60
		362	00	02	30
3	Birsa- 125	84	00	02	10
		83	00	02	50
		85	00	01	10
		90	00	04	20
		91	00	04	40
4	Gomia-110	937	00	01	90
		760	00	07	30
		779	00	01	70
		780	00	10	90
		782	00	03	30
		781	00	02	70
		787	00	00	80
		1167	00	01	60
		2998	00	12	60
		3088	00	01	40
		1966	00	00	80
		1722	00	02	10
		1829	00	00	60
		1830	00	09	90
		1831	00	08	60
		1832	00	00	90
		1833	00	02	40

5	Hazari - 112	2649	00	01	10
		2660	00	00	20

[F. No. Expl-11032(11)/19/2022-EXPL-I-PNG (E-42521)]

R. K. KUREEL, Director